

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस
मुकदमा न० राजस्व वाद 29/2020

वादीगण :-

1. गोमाराम पुत्र जैसाराम
2. भीमाराम पुत्र उकाराम
3. बाबूलाल पुत्र उकाराम
4. जगनाथराम पुत्र उकाराम
5. मेथीदेवी पत्नि उकाराम
6. केसाराम पुत्र खसाराम
7. प्रतापराम पुत्र खसाराम
8. दिनेश पुत्र भट्टाराम
9. देवाराम पुत्र भट्टाराम
10. नरपत पुत्र भट्टाराम
11. पानीदेवी पत्नि भट्टाराम नाबालिंग पुत्रों की वलीया माता पानी देवी
12. उदाराम पुत्र नगाराम
13. मोहनलाल पुत्र नगाराम
14. मांगाराम पुत्र नगाराम
15. सांगाराम पुत्र नगाराम
16. मांगाराम पुत्र रामाराम
17. भगाराम पुत्र रामाराम
18. चौथाराम पुत्र रामाराम
19. मोडाराम पुत्र रामाराम
20. सरूपाराम पुत्र मांगाराम
21. चुकीदेवी पत्नि परागाराम
22. मोहनराम पुत्र परागाराम
23. गोपाराम पुत्र परागाराम
24. धनाराम पुत्र परागाराम
25. धरमों पुत्री परागाराम
26. सुन्दर पुत्री परागाराम
27. अमियों पुत्री परागाराम
28. सरस्वती पुत्री पोकरराम
29. उज्जवल पुत्री पोकरराम
30. रविन्द्र पुत्र पोकरराम
31. अर्जुन पुत्र पोकरराम नाबालिंग भाई व बहन की वलीया बहन सरस्वती
32. करनाराम पुत्र धरमाराम
33. सुरेश पुत्र धरमाराम
34. दिनेश पुत्र धरमाराम
35. सुगली बेवा पुत्र धरमाराम नाबालिंग पुत्रों की वलीया माता सुगली
36. समदा बेवा डायाराम
37. वागाराम पुत्र वीराराम
38. खेताराम पुत्र गणेशाराम
39. ढलिया पुत्र गणेशाराम



(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



सभी जातियान मेंगवाल
सभी निवासीयान -टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

वनाम

प्रतिवादीगण :-

1. कानाराम पुत्र चौथाराम
2. बाण्डराम पुत्र चौथाराम
3. रूपाराम पुत्र कलाराम
4. देवाराम पुत्र कलाराम
5. मोडराम पुत्र कलाराम
6. जीवाराम पुत्र मांगाराम
7. धेवाराम पुत्र मांगाराम
8. बदाराम पुत्र मांगाराम
9. देवाराम पुत्र पूनमाराम
10. भटाराम पुत्र पूनमाराम
11. कतुराम पुत्र फुसाराम
12. बाबूराम पुत्र फुसाराम
13. धनाराम पुत्र फुसाराम
14. जबराराम पुत्र वगताराम
15. वागाराम पुत्र वगताराम

सभी जातियान भील सभी निवासीयान -टापरा तहसील पचपदरा

16. पाबूदेवी पत्नि देवाराम
17. सांवलराम पुत्र देवाराम
18. दीनदयाल पुत्र देवाराम

सभी जातियान कलबी सभी निवासीयान -असाड़ा तहसील
पचपदरा

19. हीराराम पुत्र अनाराम जाति कलबी निवासी टापरा
20. हेमीदेवी पत्नि चतराराम जाति कलबी निवासी टापरा
21. सुकी पत्नि वोताराम जाति कलबी निवासी टापरा
22. भीमकंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा
23. प्रकाशकंवर पत्नि शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा
24. रामलीदेवी पत्नि लुम्बाराम जाति कलबी निवासी वरियातगजी
25. हाथीराम पुत्र भलाराम जाति कलबी
26. भूराराम पुत्र दीपाराम जाति कलबी
27. मोडाराम पुत्र पदमाराम जाति कलबी
28. रामाराम पुत्र पदमाराम जाति कलबी
29. वागराम पुत्र उकाराम जाति कलबी
30. बांडाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी
31. जेठाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी
32. उकी बेवा उकाराम जाति कलबी

निवासी -जागसा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

33. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी पचपदरा जिला
बाडमेर ।



(निवासीनी)
सहायक कमिश्नर
(SDO) बानुवर

वाद पत्र वास्ते बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1. श्री देवीसिंह वादीगण वकील

निर्णय

दिनांक :- 18-02-2022

वादीनी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया। वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण सं. 1 ता 39 की कब्जा काश्त की सयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व गांव जागसा पटवार मण्डल जागसा तहसील पंचपदरा खेत खसरा न0 42 रकबा 239-02 बीघा, में आयी हुई है। उक्त खातेदारी भूमि पर वादीगण अपने अपने हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है एवं उनके खातेदारी भूमि में किसी अवैध कब्जा या अनुचित निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि का उपयोग निरन्तर कर रहे है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 की पुरानी सयुक्त खातेदारी भूमि व वर्तमान खसरा नम्बर 1139/783 रकबा 5-06 बीघा खातेदारी भूमि, व प्रतिवादी देवाराम की खसरा नम्बर 1141/783 रकबा 5-06 बीघा खातेदारी भूमि, प्रतिवादी भट्टाराम व देवाराम की खसरा नम्बर 1035/787 रकबा 30-04 बीघा खातेदारी भूमि, प्रतिवादी मोडाराम की खसरा नम्बर 1140/783 रकबा 05-06 बीघा खातेदारी भूमि, प्रतिवादी बांडाराम की खसरा नम्बर 1035/787 रकबा 30-04 बीघा खातेदारी भूमि, प्रतिवादी देवाराम, हीराराम, हेमी, सुखी की खसरा नम्बर 1132/778 रकबा 54-07 बीघा खातेदारी भूमि, प्रतिवादी भीमकंवर, प्रकाशकंवर, रायलीदेवी की खसरा नम्बर 1030/778 रकबा 80 बीघा खातेदारी भूमि, सरहद ग्राम पनोतरीनाडी में तथा प्रतिवादीगण हाथीराम, भूराराम, मोडाराम, रामाराम, बांडाराम, वागाराम, जेठाराम, उकीदेवी की खसरा नम्बर 48 रकबा 75-03 बीघा खातेदारी भूमि, ग्राम जागसा में अवस्थित है। लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण की माठ को तोड़कर वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने की मंशा से हमेशा उपद्रव कर सेढा माठ तोड़ने के असफल प्रयास करते रहते है।

वादीगण के खसरान की भूमि के पड़ोस में प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है, तथा प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है, जो येनकेन तरीके से वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर लाठी के बल पर कब्जा करने पर उतारू थें, जिस पर वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत आवेदन पत्र संख्या 127/2017 बअनवान गोमाराम वगैराह

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) बालोतरा

बनाम कानाराम वगैराह में दिनांक 03.04.2018 को निर्णित करने पर भू-अभिलेख

निरीक्षक जसोल के द्वारा दिनांक 21.05.2018 को खसरा नम्बर 42 रकबा 239-02 बीघा की नेखमबंदी की गई। खसरा नम्बर 42 सरहद मौजा जागसा एवं टापरा पर स्थित है, जहां पर दोनों गावों की सीमा पर ओवरलेपिंग है, कही पर 19 गटटा, कही पर 20 गटटा व अन्य कोनों पर अलग अलग नाप पर ओवरलेपिंग है, वर्तमान में खसरा नम्बर 42 में रास्ता चल रहा है, जो कटान मार्ग है, व खसरा नम्बर 46 व 48 में चल रहा है। करीब 38-18 बीघा भूमि सीमा ओवरलेपिंग के कारण भूमि कम पड़ रही है, तथा टापरा के कुछ खेतों की भूमि पर कब्जा खसरा नम्बर 42 में आ रहा है। मौजा टापरा के खसरा नम्बर 787 रकबा 7-11 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 15-03 बीघा, खसरा नम्बर 782 रकबा 1-02 बीघा, खसरा नम्बर 778 रकबा 15-02 बीघा भूमि दबी हुई है। इस प्रकार 38-18 बीघा भूमि खसरा नम्बर 42 की प्रतिवादीगण में दबी हुई होने से कम पड़ रही है, जिससे प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज कब्जा करना पाया जाने पर कब्जा पड़ोसियों का दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण की खसरा नम्बर 42 में प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा कर दिया है, कब्जा हटाकर वादीगण को सुपुर्द करने का कहा था, लेकिन प्रतिवादीगण प्रभावशाली होने से लाठी के बल पर वादीगण को खातेदारी भूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है।

वादीगण की खातेदारी भूमि से बेदखल करने हेतु प्रतिवादीगण आमदा है, इसलिये वादीगण की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा एवं वादीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा सुपुर्द करने हेतु विधि के अनुसार वाद प्रस्तुत किया गया है।

अंत में निवेदन किया गया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादीगण का अनुचित अतिक्रमण से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादीगण की ओर से साक्षी वादी में गोमाराम पीडब्लू-1, मांगारा पीडब्लू-2, खेताराम पीडब्लू-3, वागाराम पीडब्लू-4 प्रस्तुत किये गये, गोमाराम पीडब्लू-1, के द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 4 करवाये गये तथा सभी बयान कलम बंद किये गये।

हमने वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुनी गई, वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वाद-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया, एवं वाद पत्र में वादीगण की से साक्षीवादी में प्रस्तुत गवाहान एवं प्रदर्श करवाये गये साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।



(निरीक्षक जसोल)
 (S.D.O.) बालोतरा

पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 42 रकबा 239-02 बीघा, भूमि सरहद मौजा जागसा मे आयी हुई है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत गवाहान एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजात प्रदर्श 1 जमाबंदी नकल संवत 2071-2074, नक्शा प्रदर्श-2, तहसीलदार पचपदरा के द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श 3, मौका नक्शा नेखमबंदी प्रदर्श-4 के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा नेखमबंदी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श 3, में अंतिम पद में वर्णित किये गये तथ्यों अनुसार करीब 38-18 बीघा भूमि पर सीमा ओवरलेपिंग होने के कारण कम पड़ रही है, तथा टापरा के कुछ खेतों की भूमि का कब्जा खसरा नम्बर 42 में आ रहा है जिससे भूमि कम पड़ रही है मौजा टापरा के खसरा नम्बर 787 रकबा 7-11 बीघा, खसरा नम्बर 783 रकबा 15-03 बीघा एवं खसरा नम्बर 782 रकबा 1-02 बीघा, खसरा नम्बर 778 रकबा 15-02 बीघा भूमि दबी हुई है, उपरोक्त वादीगण की खातेदारी भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाके उनकी खातेदारी वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर सरहद मौजा जागसा के खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 239-02 बीघा वादग्रस्त आराजी मे से 38-18 बीघा पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 25.05.2018 प्रदर्श 3 के अनुसार प्रतिवादी गण का कब्जा किया जाना स्पष्ट किया गया है, प्रतिवादीगण को बेखल करने हेतु तहसीलदार, पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जसते है कि एक अनुभवी राजस्व टीम का गठन कर वादग्रस्त आराजी की पुनः मौके पर पैमाईश करवाकर मौके पर पक्के नेखम स्थापित कर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जावे, एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 32 के विरुद्ध इस आशय स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि उनके एजेन्ट, मित्र, चहेते आदि द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि व उसके कब्जे व काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें।



(सहायक सी.डी.ओ.)
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालीतारा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर)
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालीतारा

डिकरी ब मुकदमे इबादाई

(अर्द्ध 20, एन 6-7, एन 8 की गती)

(Civil Procedure Code, Appendix 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीतासीन अधिकारी - श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

संज्ञक क्रमांक संख्या :- 29/2020

जादीगण :-

1. गोमाराम पुत्र जैसाराम
 2. भीमाराम पुत्र उकाराम
 3. बाबूलाल पुत्र उकाराम
 4. जगनाथराम पुत्र उकाराम
 5. मेथीदेवी पत्नि उकाराम
 6. केंसाराम पुत्र खसाराम
 7. प्रतापराम पुत्र खसाराम
 8. दिनेश पुत्र भट्टाराम
 9. देवाराम पुत्र भट्टाराम
 10. नरपत पुत्र भट्टाराम
 11. पानीदेवी पत्नि भट्टाराम नाबालिंग पुत्रों की वलीया माता पानी देवी
 12. उदाराम पुत्र नगाराम
 13. मोहनलाल पुत्र नगाराम
 14. मांगाराम पुत्र नगाराम
 15. सांगाराम पुत्र नगाराम
 16. मांगाराम पुत्र रामाराम
 17. भगाराम पुत्र रामाराम
 18. चौथाराम पुत्र रामाराम
 19. मोडाराम पुत्र रामाराम
 20. सरूपाराम पुत्र मांगाराम
 21. चुकीदेवी पत्नि परागाराम
 22. मोहनराम पुत्र परागाराम
 23. गोपाराम पुत्र परागाराम
 24. धनाराम पुत्र परागाराम
 25. धरमों पुत्री परागाराम
 26. सुन्दर पुत्री परागाराम
 27. अमियों पुत्री परागाराम
 28. सरस्वती पुत्री पोकरराम
 29. उज्जवल पुत्री पोकरराम
 30. रविन्द्र पुत्र पोकरराम
 31. अर्जुन पुत्र पोकरराम नाबालिंग भाई व बहन की वलीया बहन सरस्वती
 32. करनाराम पुत्र धरमाराम
 33. सुरेश पुत्र धरमाराम
 34. दिनेश पुत्र धरमाराम
 35. सुगली बेवा पुत्र धरमाराम नाबालिंग पुत्रों की वलीया माता सुगली
 36. समदा बेवा डायाराम
 37. वागाराम पुत्र वीराराम
 38. खेताराम पुत्र गणेशाराम
 39. ढलिया पुत्र गणेशाराम
- सभी जातियान मंगवाल
सभी निवासीयान -टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम



(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SBO) बालोतरा

प्रतिवादीगण :-

1. कानाराम पुत्र चौथाराम
2. बाण्डराम पुत्र चौथाराम
3. रूपाराम पुत्र कलाराम
4. देवाराम पुत्र कलाराम
5. मोडराम पुत्र कलाराम
6. जीवाराम पुत्र मांगाराम
7. धेवाराम पुत्र मांगाराम
8. बदाराम पुत्र मांगाराम
9. देवाराम पुत्र पूनमाराम
10. भटाराम पुत्र पूनमाराम
11. कतुराम पुत्र फुसाराम
12. बाबूराम पुत्र फुसाराम
13. धनाराम पुत्र फुसाराम
14. जबराराम पुत्र वगताराम
15. वागाराम पुत्र वगताराम
16. सबी जातियान भील सभी निवासीयान -टापरा तहसील पचपदरा
17. पाबूदेवी पत्नि देवाराम
18. सांवलराम पुत्र देवाराम
19. दीनदयाल पुत्र देवाराम
20. सभी जातियान कलबी सभी निवासीयान -असाड़ा तहसील पचपदरा
21. हीराराम पुत्र अनाराम जाति कलबी निवासी टापरा
22. हेमीदेवी पत्नि चतराराम जाति कलबी निवासी टापरा
23. सुकी पत्नि वोताराम जाति कलबी निवासी टापरा
24. भीमकंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा
25. प्रकाशकंवर पत्नि शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा
26. रामलीदेवी पत्नि लुम्बाराम जाति कलबी निवासी वरियातगजी
27. हाथीराम पुत्र भलाराम जाति कलबी
28. भूराराम पुत्र दीपाराम जाति कलबी
29. मोडाराम पुत्र पदमाराम जाति कलबी
30. रामाराम पुत्र पदमाराम जाति कलबी
31. वागाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी
32. बांडाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी
33. जेठाराम पुत्र उकाराम जाति कलबी
34. उकी बेवा उकाराम जाति कलबी

निवासी -जागसा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

33. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी पचपदरा जिला बाडमेर ।

वाद पत्र वास्ते बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955

दि 18-02-2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू न्यायालय बहाजरी श्री देवीसिंह महेंचा वकील वादीगण मिनजानिब मुददायलाह एकतरफा पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर सरहद मौजा जागसा के खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 239-02 बीघा वादग्रस्त आराजी मे से 38-18 बीघा पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 25.05.2018 प्रदर्श 3 के अनुसार प्रतिवादी गण का कब्जा किया जाना स्पष्ट किया गया है, प्रतिवादीगण को बेखल करने हेतु तहसीलदार,

(नाम) कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

दस्तावेज को निर्देश प्रदान किये जासते है कि एक अनुभवी राजस्व टीम का गठन कर वादग्रस्त आराजी की शर्तों पर पैमाईश करवाकर भौके पर पक्के नेखम स्थापित कर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी को से अडबल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जाये, एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे प्रतिवादीगण को 1 ता 32 के विरुद्ध इस आशय स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि उनके एजेन्ट, मित्र, वहेते वादी द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि व उसके कब्जे व काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे। वीज मुबलिन बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख बसूलगावौ तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.02.2022 को जारी की गई।

(निर्देश)
 सहयोगी फेलवटर
 एस.डी.ओ. बालासागर
 (S.D.O.) बालासागर

मुद्दाई	रुपया	पै.	मुद्दयलाह	रुपया
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सम्बत			महताना वकील	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बबत इजराय			बाबत इजराय	
हुम्मनामा			हुम्मनामा	
मुतफरिक			मुतफरिक	
मीजान			मीजान	
	3.00			

